"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2010—माघ 16, शक 1931

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2010

क्रमांक ई-1-9/2009/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2010 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा. प्र. से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि (1-1-2010) से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 8700) में पदोन्नत किया जाता है :—

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री सुबोध कुमार सिंह (1997)	संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री आयुक्त, गृह निर्माण मंडल एवं संचालक, विमानन.	विशेष सचिव, मुख्य मंत्री आयुक्त, गृह निर्माण मंडल एवं संचालक, विमानन.
2.	श्रीमती निहारिका बारिक (1997)	कलेक्टर, महासमुन्द	कलेक्टर, महासमुन्द
3.	श्री मुनीश कुमार त्यागी (1997)	कलेक्टर, रायगढ़	कलेक्टर, रायगढ़
4.	श्री जी. एस. धनंजय (1997)	संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण तथा संयुक्त सचिव, वन विभाग.	संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण तथा विशेष सचिव, वन विभाग.
5.	श्री जूसुफ मिंज (1997)	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एवं प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एवं प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर.

2. श्री जूसुफ मिंज, भा.प्र.से., द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10-11-2009 के द्वारा दिनांक 1-1-2010 की स्थिति में प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति हेतु कुल 09 रिक्तियों के निर्धारण के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2010

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2001 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारी को, आवंटन वर्ष से नौ वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2010 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा. प्र. से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि (1-1-2010) से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	सुश्री शहला निगार, (सीजी: 2001)	अपर आयुक्त, नरेगा (NREGA) एवं परियोजना निदेशक, नवा अंजोर कार्यक्रम.	अपर आयुक्त, नरेगा (NREGA) एवं परियोजना निदेशक, नवा अंजोर कार्यक्रम.

2. सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत अपर आयुक्त, नरेगा (NREGA) के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. (1985), प्रमुख सचिव, मान.मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, जनसंपर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क एवं आवासीय आयुक्त, छ. ग. भवन, नई दिल्ली को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्रीमती ऋचा शर्मा, भा. प्र. से. (1994) अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

क्र. एफ 10-17/2008/1/5.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जून, 2008 द्वारा वर्ष 2011 में, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ द्वारा कराई जाने वाली जनगणना कार्य के लिए "योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग" को नोडल विभाग घोषित किया गया है.

2. इस संबंध में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत गृह मंत्रालय के अर्द्ध शासकीय पत्र सं. 9/57/2007-सी.डी. (सेन), दिनांक 16 मार्च, 2009 में किए गए प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के उपरोक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जून, 2008 को निरस्त करते हुए, इस राज्य में आगामी जनगणना, 2011 के कार्य सम्पादन हेतु "योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग" के स्थान पर "गृह विभाग" को नोडल विभाग घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2010

क्रमांक ई. [illegible]/04/2009/1/2.—सुश्री श्रुति सिंह, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग को दिनांक 23-11-2009 से 26-12-2009 तक (34 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22 नवम्बर 2009 एवं दिनांक 27, 28 दिसम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री श्रुति सिंह, भा. प्र. से., आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री श्रुति सिंह, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2010

क्रमांक ई-7/15/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08-12-2009 के द्वारा श्री सरजियस मिंज, भाप्रसे. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विभाग को दिनांक 26-12-2009 से 02-01-2010 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26-12-2009 से 04-01-2010 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर इगिप्त (विदेश) की निजी प्रवास की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2010

क्रमांक 110/2328/2009/1/2.—श्री पि. रमेष कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, उद्योग एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 26-12-2009 को एक दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25,27 एवं 28 दिसम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पि. रमेष कुमार, आगामी आदेश तक आयुक्त, उद्योग एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पि. रमेष कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पि. रमेष कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्रमांक ई-7/6/2005/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 09-12-2009 द्वारा श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 04-01-2010 से 13-01-2010 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 08-01-2010 से 18-01-2010 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2010

क्रमांक ई-7/40/2004/1/2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा.प्र.से., आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को दिनांक 15-01-2010 से 11-02-2010 तक (28 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12, 13 एवं 14 फरवरी 2010, के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनंत, आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अनंत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनंत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्रमांक ई-7/2/2005/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03-08-2009 के द्वारा श्रीमती ऋतु सैन, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव को दिनांक 27-07-2009 से 22-01-2010 तक (180 दिवस) का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया है. इसी अनुक्रम में श्रीमती सैन को दिनांक 23-01-2010 से 15-04-2010 तक (83 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्रमांक 22/1074/2009/1-8/स्था.—श्री एस. सी. श्रीमाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 7-12-2009 से 11-12-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. सी. श्रीमाल को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. सी. श्रीमाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्रमांक 24/1138/2009/1-8/स्था.—श्री पी. लकड़ा, लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 24-12-2009 से 2-1-2010 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. लकड़ा को लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. लकड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्रमांक 26/1139/2009/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 29-12-2009 से 5-1-2010 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अमृता बेक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्रमांक 28/1130/2009/1-8/स्था.— श्रीमती बिबियाना तिर्की, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 24-12-2009 से 2-1-2010 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बिबियाना तिर्की को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बिबियाना तिर्की अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 7-3/गृह-दो/2010.—जनगणना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या वर्ष 1948 का 37) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में इस संबंध में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए राज्य शासन नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारी को जनगणना 2011 के लिए कॉलम (4) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कॉलम (3) में दर्शाये प्राधिकार के अनुरूप जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

अनुसूची

सरल क्रमांक (1)	पदाधिकारी (2)	प्राधिकार (3)	क्षेत्राधिकार (4)
1.	जिलाध्यक्ष	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित जिले के अन्तर्गत
2.	जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित अपर/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष.	जिला जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित जिले के अन्तर्गत
3.	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित जिले के अन्तर्गत
4.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
5.	तहसीलदार	चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
6.	अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
7.	(अ) प्रशासक नगर निगम (अधिक्रमण किये गये नगर निगमों में) या	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत.
	(ब) आयुक्त नगर निगम (निर्वाचित नगर निगमों में)	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) के अंतर्गत.

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	प्रशासक/आयुक्त नगर निगम द्वारा नामांकित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी.	नगर जनगणना अधिकारी	उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत.
9.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी	नगर चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) के अन्तर्गत.
10.	जोनल अधिकारी (बड़े नगर निगमों में)	जोन चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
11.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (विशेष क्षेत्र)	विशेष क्षेत्र जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित विशेष क्षेत्र के अंतर्गत

2. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उक्त धारा की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके समक्ष कॉलम (4) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनगणना पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का एतद्द्वारा अधिकार प्रदाय करता है.

3. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उनके समक्ष कॉलम (4) में दर्शाये गये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके द्वारा नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों के लिए लिखित में घोषणा-पत्र प्रसारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है.

No. F 7-3/Home-2/2010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Census Act, 1948 (No. 37 of 1948) and insupersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government hereby appoints the authorities specified in column 2 of the Schedule below as Census Officers designated in column 3 for the Census 2011 within the local areas specified in column 4 thereof :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Authorities (2)	Designation (3)	Local Areas (4)
1.	Collector of the district	Principal Census Officer	Within the limits of their respective district
2.	Additional Collector/Joint Collector/Deputy Collector nominated by the Collector.	District Census Officer	Within the limits of their respective district
3.	District Planning and Statistical Officer.	Additional District Census Officer	Within the limits of their respective district
4.	Sub-Divisional Officer (Revenue)	Sub-Divisional Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions.
5.	Tahsildar	Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions.
6.	Additional Tahsildar/Naib Tahsildar	Additional Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	(A) Administrator in Superceded Municipal Corporations. OR (B) Commissioner in elected Municipal Corporations.	Principal Census Officer Principal Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions. plus out-growth areas if any. Within the limits of their respective jurisdictions. plus out-growth areas if any
8.	Officer nominated by Administrator/Commissioner in Municipal.	City Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions. plus out-growth area. if any.
9.	Chief Municipal Officer/Chief Executive Officer.	Town Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions. plus out-growth area, if any.
10.	Jonal Officer Charge In Municipal Corporation.	Zone Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions.
11.	Chief Executive Officer in special Areas.	Special Charge Officer	Within the limits of their respective Special Areas.

2. In exercise of powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the said Act, the State Government hereby delagates the power of appointing Census Officer conferred upon it by sub-section (2) of the said section to the authorities specified in column (2) of the above schedule within the areas specified in column (4) thereof.

3. In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act the State Government hereby authorises specified in column (2) of the above schedule to sign declarations regarding the appointment of Census Officers within the areas specified in column (4) thereof.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्रमांक-एफ 3-7/2010/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित कियागया.	स्थानीय क्षेत्र ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-दर्री, जिला कोरबा	थाना-बाकीमोंगरा, जिला-कोरबा	ग्राम-लाटा	51
			ग्राम-अगारखार	51
			ग्राम-केंदईखार	51

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्रमांक 450/आर-169/2010/25/1.—सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक ई-7/40/2004/1/2 दिनांक 19 जनवरी, 2010 द्वारा डॉ. बी. एस. अनंत (भा. प्र. से.) आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर का दिनांक 15-01-2010 से 11-2-2010 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. डॉ. बी. एस. अनंत, आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर के अर्जित अवकाश अवधि में आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री एम. आर. ठाकुर (भा. प्र. से.) संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 10-8/2008/वाक (आब)/पांच (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा श्रेणी 1 तथा 2 भरती नियम 1966 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन से प्रवृत्त होगा.

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 3 के उप नियम (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(छ-1) अन्य पिछड़ा वर्ग से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/25/4-84, दिनांक 26-12-1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग".

2. नियम 9 के उप नियम 1 के खण्ड (ख) में शब्द, "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति" के पश्चात "एवं अन्य पिछड़ा वर्ग" अन्तःस्थापित किया जाए.

3. नियम 12 के उप-नियम 3 में अंक एवं शब्द "15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत" अन्तःस्थापित किया जाए तथा शब्द "अनुसूचित जनजाति" के पश्चात् शब्द "एवं अन्य पिछड़ा वर्ग" अन्तःस्थापित किया जाए.

4. नियम 12 के उप नियम (4), (5) एवं (6) में शब्द "अनुसूचित जनजातियों" के पश्चात् शब्द "एवं अन्य पिछड़ा वर्ग" अन्तः स्थापित किया जाए.

5. नियम 13 के उप नियम (1) में शब्द "अनुसूचित जनजातियों" के पश्चात् शब्द "एवं अन्य पिछड़ा वर्ग" अन्तःस्थापित किया जाए.

6. नियम 14 के उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(3) पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 विधिमान्य होगा".

7. नियम 15 में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए.

8. इन नियमों से संलग्न अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची-एक
(नियम 5 तथा 6 देखिये)

(आबकारी सेवा श्रेणी 1 तथा 2) भरती नियम, 1996

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अपर आयुक्त आबकारी	02	छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा श्रेणी 1	37400-67000	8700
2.	उप आयुक्त आबकारी	06	तदैव	15600-39100	7600
3.	सहायक आयुक्त आबकारी	11	तदैव	15600-39100	6600
4.	जिला आबकारी अधिकारी	24	छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा श्रेणी 2	15600-39100	5400
5.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	50	तदैव	9300-34800	4300
6.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	तदैव	15600-39100	5400

टीप— पदों की संख्या समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी.

अनुसूची-दो
(नियम 7 देखिये)

भरती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा श्रेणी 1 व 2	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भरती द्वारा नियम 7 (अ) देखिये	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 7 (ब) देखिये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आबकारी विभाग	अपर आयुक्त आबकारी	02	—	100 प्रतिशत
	उप आयुक्त आबकारी	06	—	100 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सहायक आयुक्त आबकारी	11	—	100 प्रतिशत
	जिला आबकारी अधिकारी	24	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	50	—	100 प्रतिशत
	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	100 प्रतिशत	—

अनुसूची-तीन
(नियम 9 देखिये)

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	टिप्पणी (6)
आबकारी विभाग	छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा वर्ग 2 जिला आबकारी अधिकारी	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3, दि. 28-06-2007 के तहत अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 35 वर्ष रहेगी तथा किसी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर 1 से अधिक पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.	35 वर्ष	अभ्यर्थी किसी मान्य विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान (विज्ञान की उपाधि, तकनीकी तथा केमिकल इंजीनियरिंग को छोड़कर) वाणिज्यिक अथवा कृषि में स्नातक की उपाधि धारण करता हो.	शारीरिक अभिमान न्यूनतम पुरुष-ऊंचाई 163 से. मी., सीने का माप सामान्य 79 से. मी., फुलाने पर 84 से.मी. महिला-ऊंचाई 163 से. मी.
	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	तदैव	35 वर्ष	बी. ई. (कम्प्यूटर साईन्स/आई. टी./इलेक्ट्रानिक्स) एम.सी.ए. की डिग्री के साथ, एम. एस. एक्सेस तथा फॉक्सप्रो का समुचित ज्ञान.	—

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम (1)	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति किया जाना है (2)	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी (3)	पदोन्नति हेतु सेवा की अवधि (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14 देखिये) (5)
आबकारी विभाग	उप आयुक्त आबकारी	अपर आयुक्त आबकारी	05 वर्ष	1. अध्यक्ष-लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सहायक आयुक्त आबकारी	उप आयुक्त आबकारी	05 वर्ष	2. सचिव, आबकारी विभाग
	जिला आबकारी अधिकारी	सहायक आयुक्त आबकारी	05 वर्ष	3. आबकारी आयुक्त (छ. ग.)
	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	जिला आबकारी अधिकारी	05 वर्ष	4. उप सचिव, आबकारी विभाग
	आबकारी उप निरीक्षक	सहायक जिला आबकारी अधिकारी.	05 वर्ष	

2. उक्त संशोधन राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्रमांक एफ 10-8/2008/वाक (आब)/पांच (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-8/2008/वाक (आब)/पांच (2), दिनांक 13-01-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 13th January 2010

No. F 10-8/2008/CT (EX)/V (2).—In exercise of the powers confirmed by proviso to article 309 of the constitution of India. The Government of Chhattisgarh here by makes the following amendment in the Chhattisgarh Excise Class I & II Service Recruitment Rules 1966: with effect from its publication in the official gazette.

AMENDMENT

In the said rules :— (g)

1. After clause (3) of rule the following clause shall be inserted namely :—
   "(g-1) Other backward classes means the other backward classes of citizens as specified by the State Government vide notification N. F-8-5/XXV/4-84 dated 26th December, 1984 as changed from time to time".

2. In clause (b) of subrule (1) of rule 9 after the words "Scheduled Tribes" the words "and Other Backward Classes" shall be inserted.

3. In sub rule (3) of rule (5) 10-2 the figures and words "15 percent and 18 percent" the figures and words "16 percent and 14 percent" shall be substituted and after the words "Scheduled Tribes" the words "and Other Backward Classes" shall be inserted.

4. In sub rule (4), (5) and (6) of rule 12 after the words "Scheduled Tribes" the words "and Other Backward Classes" shall be inserted.

5. In sub rule (1) of rule 13, of the words "Scheduled Tribes" the words "and Other Backward Classes" shall be inserted.

6. After sub rule (2) of rule14, the following sub rule shall be inserted namely :—
"(3) The Chhattisgarh public service (Promotion Rule 2003 will be valid for promotion)

7. In rule 15 for the words "Three years" the words "Five years" shall be substituted.

8. For schedule I, II, III and IV appended to these rule, the following schedule shall be substituted namely.

SCHEDULE-I
(See Rule 5 & 6)

C. G. (Excise service I & II) recruitment Rule 1966

S. No (1)	Name of posts included in the Services (2)	No. of post (3)	Classification (4)	Revise Pay Band (5)	Grade Pay (6)
1.	Add. Commissioner Excise	02	Chhattisgarh Excise Service Class-I	37400-67000	8700
2.	Deputy Commissioner Excise	06	—"—	15600-39100	7600
3.	Assistant Commissioner Excise	11	—"—	15600-39100	6600
4.	District Excise Officer	24	Chhattisgarh Excise Service Class-II	15600-39100	5400
5.	Assistant District Excise Officer	50	—"—	9300-34800	4300
6.	Computer Programmer	01	—"—	15600-39100	5400

Note— No of post is decided by govt. time to time.

SCHEDULE-II
(See Rule 7)

Procedure of Recruitment

Name of department (1)	Name of service Chhattisgarh Excise Service class I & II (2)	No. of posts (3)	Percentage of the duty post to be filled for direct recruitment [See rule 7 (a)] (4)	for promotion of member's of Service [See rule 7 (b)] (5)
Excise Department	Add. Commissioner Excise	02	—	100 percent
	Deputy Commissioner Excise	06	—	100 percent
	Assistant Commissioner Excise	11	—	100 percent
	District Excise Officer	24	50 percent	50 percent
	Assistant District Excise Officer	50	—	100 percent
	Computer Programmer	01	100 percent	—

SCHEDULE-III
(See Rule 9)

Name of depart-ment (1)	Name of service (2)	Lower age limit (3)	Upper age. limit (4)	Essential qualification (5)	Remark (6)
Excise Depart-ment	Chhattisgarh Excise Service class-II District Excise officer	The candidate must attained the age of 21 years but not more than 30 years. According to General Administration Department letter No. F 3-2/ 2002/1-3, dated 28-06-2007 the age of candidate will be 35 years and after the relaxation of one year the age of any candidate on any base will not be more than 45 years.	35 years	A candidate must hold a bachelor degree from any recognized University in art, science (except science degree, technology and chemical Engineering) commerce and agriculture.	Physical standard minimum male Height-163 c.m., Chest-79 c.m., after inflate-84 c.m., Female-height-163 c.m.
	Computer programmer	—do—	35 years	B. E. (Computer science/IT/Electronic) with M. CA. Degree Knowledge of MS Access and Foxpro.	—

SCHEDULE-IV
(See Rule 14)

Name of department (1)	Posts from which promoted (2)	Posts to be filled by promotion (3)	Period of service for promotion (4)	Names of member of departmental promotion committee (See Rule 14) (5)
Excise Department	Deputy Commissioner Excise	Add. Commissioner Excise	5 yrs	1. Chairman-Public Service Commissioner or nominated member by him.
	Assistant Commissioner Excise	Deputy Commissioner Excise	5 yrs	2. Secretary Excise Department.
	District Excise Officer	Assistant Commissioner Excise	5 yrs	3. Excise Commissioner (C.G.)
	Assistant District Excise Officer	District Excise Officer	5 yrs	4. Deputy Secretary (Excise Department).
	Excise Sub Inspector	Assistant District Excise Officer.	5 yrs	

2. This amendment shall come into force from the date of publication in government gazette (Extra-Ordinary.

By order and the name of Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2010

क्रमांक 4238/तक-82/टीसी/2009.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा सूचित करती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस का अवसान होने के पश्चात् विचार किया जायेगा. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 13 दिसम्बर 2005 (असाधारण) में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-19/दो/आठ-परि./2003, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

कोई आपत्ति या सुझावों पर, जो प्रमुख सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ़ राज्य शासन, कक्ष क्रमांक 384, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 70 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 70-क जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"70-क, प्रक्रम वाहनों के परमिट स्वीकृति एवं नवीनीकरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत—

(1) यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मार्गों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा :—

(क) लघु मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी 65 कि.मी. से अधिक नहीं है.

(ख) मध्यम मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी 65 कि.मी. से अधिक किन्तु 165 कि. मी. से अधिक नहीं है, एवं

(ग) दीर्घ मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी 165 कि. मी. से अधिक है.

(2) प्रक्रम वाहन के परमिट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन होगा :—

(i) कोई प्रक्रम वाहन परमिट, दीर्घ मार्ग पर स्वीकृत अथवा नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, यदि—

(क) वाहन प्रारंभिक पंजीयन दिनांक से 08 वर्ष से अधिक पुरानी हो,

(ख) ऐसे वाहन की बैठक क्षमता,

(एक) चालक एवं परिचालक को छोड़कर डीलक्स यात्री बस के मामले में 35 सीट से कम हो,

परन्तु डीलक्स शयन कोच अथवा डीलक्स अर्ध शयन कोच के संबंध में उक्त सीट संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

(2) चालक एवं परिचालक को छोड़कर साधारण बस के मामले में 40 सीट से कम हो, जो इन नियमों के नियम 158 के उपनियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन होगा.

परन्तु उक्त प्रावधान पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्यधीन होगा.

(ii) मध्यम मार्ग पर प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किये जायेंगे, यदि—

(क) वाहन प्रारंभिक पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी है,

(ख) चालक एवं परिचालक को छोड़कर वाहन की बैठक क्षमता 35 अथवा 35 से कम हो, जो इन नियमों के नियम 158 के उपनियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन होगा.

परन्तु डीलक्स शयन कोच अथवा डीलक्स अर्ध शयन कोच के संबंध में उक्त सीट संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

परन्तु यह और भी कि उक्त प्रावधान पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्यधीन होगा.

(iii) लघु मार्गों पर प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किये जायेंगे, यदि वाहन अपने प्रारंभिक पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष से अधिक पुरानी हो.

परन्तु उक्त प्रावधान पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्यधीन होगा.

(iv) इस नियम के अधीन स्वीकृत प्रक्रम वाहन परमिट उस तिथि से अविधिमान्य हो गयी मानी जाएगी जब परमिट से आच्छादित प्रक्रम वाहन दीर्घ मार्ग के मामले में 08 वर्ष पूर्ण कर लेती हो, मध्यम मार्ग के मामले में 10 वर्ष और लघु मार्ग के मामले में 12 वर्ष पूर्ण कर लेती हो. जब तक कि परमिटधारी द्वारा वैधता समाप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर ऐसी प्रक्रम वाहन को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता और जहां परमिटधारी 15 दिवस के भीतर वाहन प्रतिस्थापित करने में असफल होता है, तो वह परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में ऐसे परमिट को निरस्त करने के लिए समर्पित करेगा.

(3) इस नियम के उप-नियम (1) एवं (2) के प्रावधान, इस नियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 24 माह की कालावधि के पश्चात्, इस नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व स्वीकृत प्रक्रम वाहन परमिट पर लागू होंगे.

(4) राज्य सरकार की छूट देने की शक्ति- राज्य सरकार किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष वाहनों के प्रकार के लिए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने आदेश द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए ऊपर दी गयी शर्तों में से एक या किसी से भी छूट प्रदान कर सकेगी.

No. 4238/तक-82/TC/2009.—The following draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by section 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby published as require by sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette" this Department notification No. F-5-19/Two/Eight-Trans./2003, dated 08th December 2005, published in Chhattisgarh Rajpatra dated 13th December 2005 (Extra Ordinary) in hereby cancelled.

Any objection or suggestions which may be received by the Principal Secretary (Transport), Government of Chhattisgarh State, Room No. 384, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

After rule 70 the following rule 70-A, shall be added, namely :—

"70-A, Guiding principles for grant and renewal of Stage Carriage Permits—

(1) To ensure safetyes and convenience of travelling passengers, routes shall be classified as follows :—

(a) Short route which covers a distance of not more than 65 Kms, one way.

(b) Medium route which covers a distance of over 65 Kms, but not exceeding 165 Kms, one way and

(c) Long route which covers a distance of more than 165 Kms. one way.

(2) The grant and renewal of Stage Carriage Permit shall be subject to the following provisions :

(i) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on long routes if-

(a) The vehicle is more than 08 Years old from the date of initial registration :

(b) The seating capacity of such vehicle is :

(One) Less than 35 seats in case of deluxe-bus excluding driver and conductor;

Provided that in repsect of deluxe sleeper coach or deluxe semi-sleeper coach the above restriction of seats shall not be applicable.

(Two) Less than 40 seats in case of ordinary bus excluding driver and conductor; subject to the provision of sub-rule (3) of rule 158 of this rules.

Provided that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.

(ii) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on medium routes if-

(a) The vehicle is more than 10 years old from the date of initial registration:

(b) The seating capacity of vehicle is 35 or less than 35 excluding the driver and conductor, subject to the provision of sub-rule (3) of rule 158 of this rules,

Provided that in respect of deluxe sleeper coach or deluxe semi-sleeper coach the above restriction of seats shall not be applicable.

Provided further that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Tansport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.

(iii) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on short route if the vehicle is more than 12 years old from the date of initial registration.

Provided that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.

(iv) A Stage Carriage Permit granted under this rules shall be deemed to be invalid from the date on which stage carriage covered by the permit completes 08 years in case of long route, 10 years in case of medium route and 12 years in case of short route, unless such stage carriage is replaced within fifteen days from the date of expiry by the permit holder Where the permit holder fails to replace the vehicle within fifteen days he shall surrender the permit for cancellation in the office of permit granting Authority.

(3) The Provision of sub-rule (1) and (2) of this rule shall apply to a stage Carriage Permit granted prior to the coming into force of this rule after a period of Twenty Four months from the date of the publication of this rule in the official gazette.

(4) Powers of State Government to grant relaxation- The State Government may grant relaxation, partially or completly by order in respect of particular area or particular type of vehicles from one or any of the above conditions, giving reasons in writing.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय पिल्ले, सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2010

क्रमांक 361/एफ 1-3/2008/19/स्था-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007" में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. अनुसूची-एक के शीर्ष तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) के सरल क्रमांक 10 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा कॉलम (2), (3), (5), (6) एवं (7) में उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाये :—

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या		वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
		सिविल	विद्युत/ यांत्रिकी				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
11	डाटा एन्ट्री आपरेटर	103	-	राज्यव्यापी काडर	5200-20200+2200 (ग्रेड वेतन)	प्रमुख अभियंता	

2. अनुसूची-दो के शीर्ष तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) के कॉलम (2) के सेवा में सम्मिलित पदों के नाम "सहायक प्रोग्रामर" के पश्चात्, निम्नलिखित सेवा में सम्मिलित पदों के नाम "डाटा एन्ट्री आपरेटर" तथा कॉलम क्रमांक (3), (4) एवं (7) में उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाए :—

विभाग का नाम	सेवा का नाम (एक) वर्ग (दो) पदों के नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा देखिये नियम 6 (1) (क)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा देखिये नियम 6 (1) (ख)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लोक निर्माण विभाग	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	103	100%	—	—	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा नामांकित-अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता-सदस्य 3. अधीक्षण अभियंता-सदस्य 4. अधीक्षण अभियंता-सदस्य	

3. अनुसूची-तीन के शीर्ष तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) के कॉलम (2) के सेवा का नाम "सहायक प्रोग्रामर" के पश्चात्, निम्नलिखित सेवा का नाम "डाटा एन्ट्री आपरेटर" तथा कॉलम क्रमांक (3), (4) एवं (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाए :-

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	(निर्धारित) शैक्षणिक अर्हतायें	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक निर्माण विभाग	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर साइंस या सूचना प्रोद्यौगिकी या माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स. 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट में एक वर्षीय डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा. हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाइपिंग की गति 8000 (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति.	

4. अनुसुची-एक के शीर्ष तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) के सरल क्रमांक 9 के कॉलम (3) के अंक "802" के स्थान पर अंक "699" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. 361/F 1-3/2008/Est.-3.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to Aticle 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the "Chhattisgarh Public Works Department (Non-Gazetted) Service Recruitment Rule, 2007", namely :—

AMENDMENT

In the said Rules.—

1. After serial number 10 of head class-III (Ministerial) of Schedule-I, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (5), (6) and (7) shall be added :—

S. No.	Name of the posts included in the service	Number of Posts Civil	Electrical/ Mechanical	Classification	Pay Scale	Appointing authority	Remarks
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
11	Data Entry Operator	103	-	State Cadre	5200-20200+ 2200 (Grade Pay)	Engineer-in-Chief	-

2. After the name of posts included in the service, "Assistant Programmer" of column (2) of head class-III (Ministerial) of Schedule-II, the following name of posts included in the service "Date Entry Operator" and

entries relation thereto in column number (3), (4) and (7) shall be inserted.—

Name of the Department	Name of service (I) Class- (II) Name of posts	Total Number of duty posts	Percentage of the duty post to be filled in		By Temporary transfer of person from other services	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
			By Direct recruitment, see rule 6 (1) (a)	By Promotion of substantive membes of services see rule 6 (1) (b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Public Works Depart-ment	Data Entry Operator	103	100%	-	-	1. Engineer - in-chief or nominated by him—Chairman 2. Cheif Engineer—Member 3. Superintending Engineer—Member 4. Superintending Engineer—Member	

3. After the name of service "Assistant Programmer" of column (2) of head class III (Ministerial) of Schedule-III, the following name of service "Data Entry Operator" and entries relating thereto in column number (3), (4) and (5) shall be inserted :—

Name of Department (1)	Name of service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Educational Qualification (Prescribed) (5)	Remarks (6)
Public Works Department	Data Entry Operator	18 yrs	30 yrs (35 yrs. for Citizens of Chhattisgarh)	1. Higher Secondary Certificate (10+2) examination pass from recognized Board. 2. Three years Diploma course in Computer Science or Information Technology or Modern Office Management from recognized Institution. 3. One year course Diploma/certificate computer operator and Programming Assistant from recognized Institution or one year Post Graduate Diploma in Computer Application from recognized Institution. Computer typing speed 8000 (Key) depression per hours speed in Hindi and English.	

4. For the figure "802" of column (3) of serial number 9 of Head Class-III (Ministerial) of Schedule-I, the figure "699" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्रमांक 17 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभाठा, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.38 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	28	0.30
	27/1	0.09
	27/2	0.09
	23	0.30
	20	0.23
	22	0.18
	21/2	0.06
	15	0.50
	14	0.22
	17/2	0.13
	13/3	0.30
	18	0.10
	21/1	0.12
	6	2.13
	13/2	0.30
	13/1	0.33
योग	16	5.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मड़वा तेन्दूभांठा तांप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत डायरेक्ट रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 14 जनवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-चितापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
14	0.24
15/2	0.44

	(1)	(2)
	16	0.31
योग	3	0.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैंसमा गोढ़ी मार्ग के 2/4 सेतु निर्माण पर चितापाली नाला में आने वाली निजी भूमि के प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 जनवरी 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कोरबा
(ग) नगर/ग्राम-कोलगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.29 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	3/3	0.50
	15/3	0.55
	14/2	1.36
	14/3	0.68
	3/4	0.52
	14/1	1.00
	14/4	0.68
योग	7	5.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोलगा जलाशय बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-सूरजपुर
(ग) नगर/ग्राम-रामतीर्थ, प. ह. नं. 72
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102	0.18
103	0.26
107	0.30
108	0.13
110	0.29
111	0.67

	(1)	(2)
	117	1.36
	118	0.49
	119	0.40
	120	0.38
	121	0.04
	123	0.24
	124	0.17
	125	0.55
	126	0.39
	127	0.98
	128	0.13
	131	1.17
	132	0.70
	133	0.21
	147	0.30
	148	0.07
	149	0.11
	150	0.03
	151	0.13
	152	0.13
	153	1.50
	154	0.07
	155	0.04
	156	1.69
योग	30	13.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गट्टीझरिया जलाशय/परियोजना के डूब क्षेत्र/नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन सरगुजा एवं कोरिया, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./11/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-ओड़गी
- (ग) नगर/ग्राम-चेन्द्रा, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
331	1.00
363	0.38
427	0.39
440	1.29
445	0.11
973	0.14
1279	0.22
1290	0.05
1291	0.01
1292	0.10
1294	0.11
1295	0.05
1300	0.20
1307	0.06
1309	0.03
1310	0.27
1311	0.16
1314	0.10
1315	0.04
1318	0.04
1320	0.20
1321	0.03
1327	0.05
1328	0.09
1329	0.09
1338	0.03
1339	0.04
1340	0.04
1341	0.05
1342	0.01
1357	0.07
1373	0.01
1374	0.06
1375	0.26
1376	0.05

(1)	(2)
1377	0.01
1378	0.14
1380	0.12
1381	0.05
1382	0.12
1388	0.23
1389	0.23
1390	0.28
1391	0.01
1395	0.03
1396	0.13
1397	0.01
148/1	0.22
148/2	0.05
443/1613	0.78
योग 50	8.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय के अंतर्गत स्पिल चैनल बांई तट नहर, कोड़ा पुरवा शाखा नहर एवं डूबान तथा दायीं तट नहर में छूटी हुई भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन सरगुजा एवं कोरिया, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./17/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-चलगली, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.703 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
257/9	0.085
257/13	0.064
257/17	0.155
257/19	0.068
267/1	0.075
269/2/1	0.098
269/2/2	0.072
269/2/3	0.098
269/9/2	0.085
269/10	0.057
269/12	0.040
269/13/2	0.148
269/14	0.077
269/15	0.045
269/17	0.045
269/18	0.045
269/19	0.022
269/22	0.064
269/25	0.050
269/27	0.105
269/28	0.075
269/29	0.004
269/30	0.066
269/34	0.060
योग	1.703

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - गंगोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./18/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-लुण्ड्रा

(ग) नगर/ग्राम-किरकिमा, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.374 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
241	0.048
242/1	0.088
242/2	0.180
242/5	0.012
242/8	0.030
242/9	0.135
242/12	0.082
242/14	0.097
242/15	0.135
242/16	0.100
386	0.036
387	0.222
388/407	0.048
391	0.036
392	0.032
393	0.025
395	0.042
396	0.022
397	0.004
योग	1.374

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - गंगोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./19/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-लुण्ड्रा

(ग) नगर/ग्राम-कोईलारी, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.461 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
455/2	0.060
456/3	0.060
457/1	0.004
457/3	0.045
458/1	0.172
459	0.079
469/3	0.012
470	0.065
471	0.024
472	0.024
474	0.016
475/1	0.082
475/2	0.120
484	0.053
841/1	0.082
842	0.079
845	0.051
846/1	0.112
847	0.004
848/1	0.045
848/2	0.045
850/1	0.008
852/2	0.068
859/8	0.081

(1)	(2)
859/9	0.070
योग	1.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - गंगोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./20/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-लुण्ड्रा

(ग) नगर/ग्राम-भेड़िया, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.079 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
49	0.101
50	0.162
72	0.150
75	0.109
76	0.101
77	0.028
82	0.202
83	0.041
139/1	0.101
140/2	0.101
156	0.041
158	0.121
160	0.121
171	0.182
172	0.150
173	0.049
174	0.049
176	0.049
182	0.041
183	0.081
184	0.041
185	0.028
189	0.101
190	0.028
191/2	0.101
219	0.028
220	0.040
221	0.041
222	0.012
225	0.028
226	0.041
227	0.041
228	0.020
229	0.016
230	0.041
231	0.028
232/1	0.041
232/2	0.041
241/1	0.356
250	0.016
254	0.161
256	0.061
257	0.069
621	0.101
624	0.101
625	0.032
626	0.162
627/2	0.032
628/1	0.283
629/1	0.008
योग	4.079

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सपड़ा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./21/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-कछार, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.506 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/24	0.061
5/36	0.162
5/39	0.049
36	0.041
37	0.121
42	0.089
60	0.072
61	0.068
62/1	0.041
62/2	0.041
64	0.060
65	0.069
66	0.162
77	0.020
79/1	0.065
90/1	0.049
91	0.129
93/1	0.061
93/2	0.061
93/3	0.061
94	0.153
95	0.101
100/2	0.081
101/1	0.028
101/3	0.028
107	0.061
108/1	0.024
108/2	0.020
108/3	0.020
108/4	0.024
109/1	0.041
109/2	0.041
110	0.081
111	0.089
113/1	0.081
114	0.182
116	0.028
117/1	0.141
117/2	0.141
120	0.049
122	0.121
126/2	0.032
128	0.032
129/1	0.032
130	0.089
133	0.049
135	0.045
136	0.049
137/1	0.020
138/2	0.141
योग	3.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घाघझरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./22/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-लुण्ड्रा
(ग) नगर/ग्राम-नागम, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.098 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
719/2	0.360
719/3	0.180
774/1	0.041
774/2	0.041
815	0.032
817	0.112
818	0.049
860	0.048
861	0.041
863	0.090
864	0.184
865	0.056
866	0.065
867/4	0.142
876	0.024
877	0.202
879	0.084
880	0.064
881	0.049
882	0.008
883	0.004
886	0.012
887	0.008
888	0.016
889	0.104
891	0.004
892	0.008
893	0.004
894	0.056
920	0.041
930	0.093
931	0.004
932	0.008
933	0.104
937	0.061
938	0.041
939	0.081
941	0.464
1325/12	0.113
योग	3.098

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - गंगोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./23/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-लुण्ड्रा
(ग) नगर/ग्राम-सपड़ा, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.091 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81/2	0.061
237/1	0.061
237/2	0.061
271	0.061
274	0.081
275	0.028
276	0.041
280	0.041
281	0.020
287	0.041
288	0.041
289	0.041
290	0.031

(1)	(2)
291	0.051
293	0.020
339/1	0.061
339/2	0.061
340	0.188
342	0.162
343	0.008
344	0.295
346	0.036
356	0.081
357/1	0.101
360	0.141
365	0.101
366	0.049
361/459	0.077
योग	2.091

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सपड़ा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जनवरी 2010

रा. प्र. क्र./24/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-नागम, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.251 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
55/1	0.041
57	0.020
59	0.020
61	0.121
63	0.049
योग	0.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रीरी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) सरगुजा, अम्बिकापुर

सरगुजा, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्रमांक/171/खनिज-1/2009.—खान एवं खनिज नियमावली 1960 के नियम 59 के अन्तर्गत लेखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र खनिज ग्रेफाईट लेप्स घोषित खनिपट्टा क्षेत्र को पुनः अनुदान में दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात्

क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र. (1)	पूर्व पट्टेदार का नाम (2)	ग्राम का नाम (3)	तहसील खसरा नं. (4)	रकबा (हे. में) (5)	खनिज का नाम (6)	भूमि का विवरण (7)	खुला घोषित किये जाने का कारण (8)
1.	मे. सुखदेव प्रसाद गोयनका कटनी, म. प्र.	रेवतीपुर	पाल 161/2	0.340	ग्रेफाईट	निजी भूमि स्वामी	नियम 1960 के नियम 28 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत खनिपट्टा दिनांक 26-06-05 से राज्य शासन द्वारा व्यपगत घोषित किये जाने के कारण
2.	—,,—	—,,—	162	1.073	—,,—	—,,—	—,,—
3.	—,,—	—,,—	163	0.586	—,,—	—,,—	—,,—
4.	—,,—	—,,—	164	0.299	—,,—	—,,—	—,,—
5.	—,,—	—,,—	165	0.223	—,,—	—,,—	—,,—
6.	—,,—	—,,—	170	0.239	—,,—	—,,—	—,,—
7.	—,,—	—,,—	171	0.166	—,,—	—,,—	—,,—
8.	—,,—	—,,—	172	0.316	—,,—	—,,—	—,,—
9.	—,,—	—,,—	173	0.036	—,,—	—,,—	—,,—
10.	—,,—	—,,—	174	0.040	—,,—	—,,—	—,,—
11.	—,,—	—,,—	175	1.068	—,,—	—,,—	—,,—
12.	—,,—	—,,—	176	1.003	—,,—	—,,—	—,,—
13.	—,,—	—,,—	188	0.586	—,,—	—,,—	—,,—
14.	—,,—	—,,—	190	0.806	—,,—	—,,—	—,,—
15.	—,,—	—,,—	191	0.360	—,,—	—,,—	—,,—
16.	—,,—	—,,—	192	0.450	—,,—	—,,—	—,,—
17.	—,,—	—,,—	173	0.008	—,,—	—,,—	—,,—
18.	—,,—	—,,—	221/2	0.523	—,,—	—,,—	—,,—
19.	—,,—	—,,—	221/3	2.225	—,,—	—,,—	—,,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	मे. सुखदेव प्रसाद गोयनका कटनी, म. प्र.	रेवतीपुर	पाल 221/4	2.386	ग्रेफाईट	निजी भूमि स्वामी	नियम 1960 के नियम 28 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत खनिपट्टा दिनांक 26-06-05 से राज्य शासन द्वारा व्यपगत घोषित किये जाने के कारण
21.	—,,—	—,,—	221/8	2.695	—,,—	—,,—	—,,—
22.	—,,—	—,,—	221/9	0.546	—,,—	—,,—	—,,—
23.	—,,—	—,,—	221/10	2.652	—,,—	—,,—	—,,—
24.	—,,—	—,,—	219	0.474	—,,—	—,,—	—,,—
25.	—,,—	—,,—	235	0.270	—,,—	—,,—	—,,—
		योग	**25**	**19.477 हे.**			

टीप :— भूमि स्वामियों की सहमति अनिवार्य है.

सरगुजा, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्रमांक/172/खनिज-1/2010.—खान एवं खनिज नियमावली 1960 के नियम 59 के अन्तर्गत लेखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र खनिज ग्रेफाईट लेप्स घोषित खनिपट्टा क्षेत्र को पुनः अनुदान में दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र. (1)	पूर्व पट्टेदार का नाम (2)	ग्राम का नाम (3)	तहसील खसरा नं. (4)	रकबा (हे. में) (5)	खनिज का नाम (6)	भूमि का विवरण (7)	खुला घोषित किये जाने का कारण (8)
1.	मे. एस. अनुकुन मिनरल्स, कटनी, म. प्र.	रेवतीपुर	पाल 3/16	0.745	ग्रेफाईट	निजी भूमि स्वामी.	नियम 1960 के नियम 28 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत खनिपट्टा दिनांक 26-06-05 से राज्य शासन द्वारा व्यपगत घोषित किये जाने के कारण
2.	—,,—	—,,—	3/18	0.721	—,,—	—,,—	—,,—
3.	—,,—	—,,—	3/19	0.384	—,,—	—,,—	—,,—
4.	—,,—	—,,—	3/20	0.333	—,,—	—,,—	—,,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	मे. सुखदेव प्रसाद गोयनका कटनी, म. प्र.	रेवतीपुर	पाल 11/2	1.189	ग्रेफाईट	निजी भूमि स्वामी	नियम 1960 के नियम 28 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत खनिपट्टा दिनांक 26-06-05 से राज्य शासन द्वारा व्यपगत घोषित किये जाने के कारण.
6.	—,,—	—,,—	11/3	0.624	—,,—	—,,—	—,,—
7.	—,,—	—,,—	11/8	0.364	—,,—	—,,—	—,,—
8.	—,,—	—,,—	3/21	0.121	—,,—	—,,—	—,,—
9.	—,,—	—,,—	25	0.145	—,,—	—,,—	—,,—
10.	—,,—	—,,—	27	1.080	—,,—	—,,—	—,,—
11.	—,,—	—,,—	10	2.144	—,,—	—,,—	—,,—
12.	—,,—	—,,—	4	0.821	—,,—	—,,—	—,,—
13.	—,,—	—,,—	9	0.206	—,,—	—,,—	—,,—
14.	—,,—	—,,—	11/4	0.870	—,,—	—,,—	—,,—
15.	—,,—	—,,—	11/5	0.801	—,,—	—,,—	—,,—
16.	—,,—	—,,—	11/6	0.295	—,,—	—,,—	—,,—
17.	—,,—	—,,—	11/9	0.293	—,,—	—,,—	—,,—
18.	—,,—	—,,—	11/10	0.506	—,,—	—,,—	—,,—
		योग	**18**	**12.198**			

टीप :— भूमि स्वामियों की सहमति अनिवार्य है.

कमल प्रीत सिंह,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 21st January 2010

No. 485/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section:

Sr. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Mukesh Kumar Patre, Judicial Magistrate First Class	Mungeli	Bilaspur
2.	Shri Sunil Kumar Nande	Takhatpur	Bilaspur
3.	Shri Srinarayan Singh, Judicial Magistrate First Class, Bilaspur.	Bilaspur	Bilaspur
4.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.), Judicial Magistrate First Class.	Pendra-Road	Bilaspur
5.	Smt. Mamta Patel, Judicial Magistrate First Class.	Bilaspur	Bilaspur
6.	Shri Chandra Kumar Kashyap, Judicial Magistrate First Class.	Marwahi	Bilaspur
7.	Smt. Urmila Gupta, Judicial Magistrate First Class.	Kota	Bilaspur
8.	Ms. Sanjaya Ratre, Judicial Magistrate First Class.	Bilaspur	Bilaspur
9.	Shri Atul Kumar Shrivastava, Judicial Magistrate First Class.	Bilha	Bilaspur
10.	Shri Kiran Kumar Jangde, Judicial Magistrate First Class.	Bilaspur	Bilaspur

Bilaspur, the 21st January 2010

No. 487/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri Prabhakar Gwal, Judicial Magistrate First Class, Jaijaipur, Janjgir-Champa to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Bilaspur, the 21st January 2010

No. 489/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sr. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Avinash Tiwari, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
2.	Smt. Sangeeta Navin Tiwari, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
3.	Ms. Shraddha Shukla, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
4.	Smt. Kiran Rathi, Judicial Magistrate First Class.	Raipur	Raipur
5.	Shri Rakesh Kumar Verma, Judicial Magistrate First Class.	Devbhog	Raipur
6.	Shri Anil Kumar Bara, Judicial Magistrate First Class.	Kasdol	Raipur
7.	Shri Jagdish Ram, Judicial Magistrate First Class.	Bhatgaon	Raipur
8.	Shri Balaram Sahu, Judicial Magistrate First Class.	Bilaigarh	Raipur

Bilaspur, the 22nd January 2010

No. 500/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sr. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Sheikh Ashraf, Judicial Magistrate First Class.	Manendragarh	Koriya
2.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur, Judicial Magistrate First Class.	Janakpur	Koriya
3.	Shri Aditya Joshi, Judicial Magistrate First Class.	Chirmiri	Koriya

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 20th January 2010

No. 197/L. G./2010/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby granted earned leave for 11 days from 01-06-2010 to 11-06-2010 and permission to prefix summer vacation from 17-05-2010 to 31-05-2010 and suffix holidays of 12th & 13th June, 2010 along with permission to leave headquarters from 17-05-2010 till 13-06-2010.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 71+04 days of earned leave are remaining in her leave account as on 01-01-2010.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar (ADMN.).